श्री अभय कुमार सिंह, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा दिनांक 04.09.2013 को प्रखंड कार्यालय, सिकटा का किए गए निरीक्षण की टिप्पणी :—

दिनांक 04.09.2013 को प्रखंड कार्यालय, सिकटा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य सामने आया :—

1. **उपस्थिति :—**

अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण के क्रम में श्री राकेश कुमार वर्मा, प्र0 पशुपालन पदाधिकारी, श्री प्रभुनाथ श्रीवास्तव, प्र0 कृषि पदाधिकारी, श्री रूपलाल मंडल, प्र0 सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं श्री अरविंद कुमार, प्र0स0प्र0 पदाधिकारी अनुपस्थित पाए गए। उपस्थिति पंजी के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि इनके द्वारा उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर दर्ज नहीं किया जाता है। पृच्छा किए जाने पर कार्यालय कर्मी अथवा प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गयी। उक्त के आलोक में उपरोक्त वर्यवेक्षकों का **दिनांक 04.09.2013 का वेतन No Work No Pay** के सिद्धांत पर भुगतेय नहीं होगा। साथ ही वे एक सप्ताह के अंदर अनुपस्थिति एवं उपस्थिति पंजी में लगातार हस्ताक्षर दर्ज नहीं करने के आरोप में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण समर्पित करेंगे कि क्यों नहीं कार्रवाई हेतु विभाग को प्रतिवेदित कर दिया जाय।

(अनुपालन :— प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा)

2. **रोकड़ बही :—**

प्रखंड कार्यालय के सामान्य रोकड़ बही का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 31.07.2013 के बाद रोकड़ बही नहीं लिखा गया है जो कि प्रखंड नाजीर के कार्यों के प्रति लापरवाही का द्योतक है। उपरोक्त के आलोक में प्रखंड नाजीर से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय। यह भी उल्लेखनीय है कि रोकड़ बही प्रखंड विकास पदाधिकारी की प्रमुख जिम्मेवारी है। उनके द्वारा भी इसकी देख–रेख नहीं की जा रही है जो खेद का विषय है। अतः प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी अद्यतन रोकड़ बही संधारित नहीं होने के आरोप में स्पष्टीकरण किया जाय। रोकड़ बही के अवलोकन से स्पष्ट है कि ट्राइसम, एन0आर0ई0पी0, 2505 एन0आर0ई0पी0, 2515 एन0आर0इ0पी0, पंचायत से संबंधित जिन मदों में राशि प्राप्त नहीं होता है एवं योजनाएं आज की तारीख में कार्यावित नहीं हैं उनसे संबंधित सहायक रोकड़ बही का संधारण किया जा रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे उपरोक्त सहायक रोकड़ पंजी की राशि कोषागार में जमा करा कर रोकड़ बही को बंद कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :— प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा/प्रखंड विकास पदाधिकारी)

3. **आर0टी0पी0एस0 :—**

निरीक्षण के क्रम में सिकटा प्रखंड में विभिन्न प्रकार की पेंशन से संबंधित 22 मामले एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित 14 मामले समय अवधि बीत जाने के बाद भी निष्पादन हेतु लंबित पाया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज एक सप्ताह के अंदर वित्तीय दण्ड अधिरोपित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :— अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज)

5/9

(अभय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 1580 /गो. दिनांक 06/09/2013

प्रतिलिपि : प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिकटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज/वरीय प्रभारी, सिकटा/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा/आई0टी0 मैनेजर, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/9

(अभय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 1580 /गो. दिनांक 06/09/2013

प्रतिलिपि : आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

5/9

(अभय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।